न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **09/2018** अपील (रसद)

अनवान

श्री किशनलाल सेठ पिता श्री हिरालाल सेठ, उचित मुल्य दुकानदार जुड़ा–बी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर प्रकरण संख्या 58/2017 तारीख आदेश 10.05.2018 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–	1. श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट 2. श्री विजयसिंह, प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 08.08.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.17 को जॉच दल द्वारा अपीलान्ट की उचित मुल्य दुकान जुड़ा बी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 01.09.16 से 20.07.17 तक की अवधि का निरीक्षण पॉस मशीन में उपलब्ध स्टॉक के मुकाबले गोदाम में मिले गेहूँ नीला केरोसीन चीनी की जॉच की गई। जॉच में 44.9 क्विंटल गेहूँ के फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना बताया गया। मौके पर 4.75 क्विंटल गेहूँ ही मिला। केरोसीन शेष ऋणात्मक मान में 1541.22 लीटर मिला। जिसे भी फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना माना गया एवं चीनी का स्टॉक शून्य मिला। जबकि

स्टॉक के मुकाबले 0.98 क्विंटल चीनी कम मिली जिसका दुरूपयोग डिलर द्वारा किया जाना बताया जाकर डीलर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जॉच दल द्वारा दिनांक 24.07.17 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिनके द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया एवं डिलर के विरूद्ध पुलिस थाना माण्डवा में प्राथमिक दर्ज करवायी गई। जबकि माह सितम्बर का पोते गेहूँ 80 क्विंटल पूर्व से ही स्टॉक में था जिसे वक्त निरीक्षण जॉच दल द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं गया। जॉच दल ने 1 सितम्बर 2016 को स्टॉक शुन्य मानते हुए जो हिसाब निकाला वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। स्टॉक रजिस्टर मौके पर मौजुद थे। जिनको देखा ही नहीं गया। 1 सितम्बर 2016 को अपीलान्ट के पास में 2.02 क्विंटल शक्कर पोते थी तथा करोसीन 1641 लीटर पोते था एवं गेहूँ 48 क्विंटल 20 किलो पोते था। उन सब का वितरण बता रखा हैं। उसमें से 4.75 क्विंटल गेहूँ बारदान सहित पोते था तथा 100 लीटर केरोसीन पोते रहता हैं। शक्कर 3 क्विंटल पोत थी किन्तु उसे चैक नहीं किया गया। ऐसे मामले में अपीलान्ट का लाईसेन्स अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है जबकि अपीलान्ट के खिलाफ गलत एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई जिसमें भी जॉच अधिकारी द्वारा सारी जॉच करने पर एफ. आर. दे दी गई कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.18 निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जॉच दल द्वारा अपीलार्थी की दुकान सेन्टर जुड़ा बी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कुल 5 बिन्दु अपनी जॉच रिपोर्ट में तय किये गये। जिसमें वक्त जॉच दिनांक 21.07.17 को दुकान बन्द मिली। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि डीलर द्वारा दुकान अप्राधिकृत स्थान पर चलाई जा रही हैं। अप्राधिकृत स्थान की जॉच करने पर पाया कि उक्त दुकान में 4.75 क्विंटल गेहूँ मय बारदान और केरोसीन के गोदाम में 100 लीटर नीला केरोसीन एक लोहे के

ड्रम के साथ मिला जिसे वजह सबुत जब्त किया गया। डीलर से मोबाईल पर सम्पर्क किया गया तो डीलर द्वारा उदयपुर होना बताया एवं मौके पर उपस्थित होना सम्भव नहीं बताया। मौके पर उपस्थित सुरजमल प्रजापत द्वारा कहा कि किशनलाल द्वारा मेरे मकान में किराये से पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से दुकान चला रहा हैं। जिसके द्वारा ही उक्त गेहूँ व केरोसीन बताये गये। उसके पास में पोईन्ट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध मिली। जिसकी जॉच पर दुकान पर स्टॉक के भौतिक सत्यापन की सही स्थिति मालुम करने के लिये केरोसीन गहूँ व चीनी की आपूर्ति तथा डीलर के वितरण की स्थिति जिला रसद कार्यालय से ली गई जिसके अनुसार 1 सितम्बर 2016 को डीलर का गेहूँ, चीनी और केरोसीन तेल का स्टॉक शुन्य मानते हुए जॉच की गई। जिसके अनुसार डीलर द्वारा 44.9 क्विंटल गेहूँ के फर्जी ट्रांजेक्शन होना बताया। केरोसीन का आय से अधिक वितरण होना बताया। जिसके अनुसार 1541.22 लीटर केरोसीन के फर्जी ट्रांजेक्शन होना बताया एवं चीनी का स्टॉक 0.98 क्विंटल शेष होना चाहिये था जो मौके पर शून्य मिला। जबकि अपीलान्ट के पास 48.20 क्विंटल गेहूँ दिनांक 1 सितम्बर 2016 को पोते था। इसी प्रकार केरोसीन भी 1641 लीटर पोते था एवं शक्कर 2.2 क्विंटल पोते थी। इसके संबंध में एफ.आई.आर. थाना माण्डवा में भी दर्ज करवायी गई जिनके द्वारा भी विस्तृत जॉच की गई। जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 48.20 क्विंटल गेहूँ डीलर के पास में उपलब्ध था। कुल 1336 क्विंटल गेहूँ होलसेलर से प्राप्त किया। कुल गेहूँ में से 1380.90 क्विंटल गेहूँ का वितरण किया गया। 3.30 क्विंटल गेहूँ बारदान सहित शेष रहता है जबकि जब्त 4.75 क्विंटल गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन करना बताया गया हैं। स्टॉक रजिस्टर में 4.75 क्विंटल गेहूँ पोते बता रखा हैं। जुलाई व अगस्त 2017 का राशन किशनलाल द्वारा नहीं उठाया गया। दोनो माह के राशन के गेहूँ जुड़ा सी सेन्टर श्री सम्पतलाल के नाम से उठा हैं। केरोसीन का 100 लीटर फर्जी ट्रांजेक्शन होना बताया गयाहै जबकि सितम्बर 2016 को पुर्व पोते 1641.00 लीटर रजिस्टर स्टॉक क्रमांक 3 पर पोते बता रखे है। जब जॉच दल द्वारा सितम्बर 2016 का शुन्य मानते हुए किया गया जबकि सितम्बर 16 से जुन 17 तक कुल 10410 आवक व पुर्व का पोत 1641+10410 कुल 12051 लीटर हुआ तथा वितरण 11951 लीटर रजिस्टर के मुताबिक किया हुआ हैं। शेष बचत 100 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेक्शन बताया परन्तु 100 लीटर पुर्व के स्टॉक रजिस्टर

क्र0 के आधार 1641 को जोड़त हुए 1541 का वितरण करने के बाद 100 लीटर पोते रहा जो स्टॉक रजिस्टर में पोते बता रखा हैं। चीनी का सितम्बर 16 का 0 मानते हुए 0.98 किलोग्राम कम पाया बताया है जबकि स्टॉक रजिस्टर पेज क्रमांक 14 पर पोते 202 किलोग्राम 1/9/16 को पोते रही जब कि माह सितम्बर 16 से जुन 17 तक प्राप्ति आवक चीनी 120 क्विंटल हुई 120+202 किलोग्राम कुल योग 122 क्विंटल 0.02 किलोग्राम होता है जबकि उसमें से 119.02 किलोग्राम वितरण किया जो स्टॉक रजिस्टर पेज क्रमांक 15 पर दर्ज कर रखा है 122 क्विंटल 02 किलोग्राम में से वितरण 119.02 किया हुआ है जो शेष चीनी बची शक्कर कुल 3 क्विंटल है जो स्टॉक रजिस्टर पेज क्रमांक 15 पर पोते दर्ज हैं जो किशनलाल के पास पोते हैं। निरीक्षण दल द्वारा जल्दबाजी में निरीक्षण किया। उन्हे तो निरीक्षण करना था। उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समय ही नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय में भी अपीलाथी द्वारा अपने जवाब में सारी बाते कही। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई बात नहीं मानी। जबकि पुलिस द्वारा भी तटस्थ जॉच करते हुए प्रकरण में एफ.आर. सी.जे.एम. साहब कोटड़ा को प्रस्तुत कर दी गई हैं। पुलिस द्वारा अपनी जॉच में तथ्यो की भूल होना माना हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर तुरन्त प्रभाव से अपीलार्थी को वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें। अपनी बहस की ताईद में ईएफआर 2006(1) पेज 533, ईएफआर 2011(1) पेज 165, ईएफआर 2011(1) पेज 398, ईएफआर 2011(1) पेज 400 एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर के एसबीसिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 खेमराज बनाम सरकार की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस के कथनो में निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण जॉच दल को स्टॉक के मुकाबले सेन्टर पर गेहूॅ 4.75 क्विंटल सत्यापन पर उपलब्ध मिले एवं केरोसीन 100 लीटर उपलब्ध मिला। लेवी चीनी शुन्य मिली। रेकार्ड के मुकाबले डीलर द्वारा 44.9 क्विंटल गेहूॅ के फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाना पाया गया। इसी प्रकार केरोसीन का अन्तिम शेष ऋणात्मक मान में 1541. 22 लीटर मिला। 1541.22 लीटर केरोसीन के फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाना भी स्पष्ट होता हैं। चीनी का स्टॉक शुन्य क्विंटल मिला जबकि डीलर के पास चीन का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि डीलर के पास अन्तिम स्टॉक 0.98 क्विंटल होना चाहिये। इस प्रकार डीलर

द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6, 8, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया हैं। जिस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया हैं। जो उचित हैं। अतः अपीलार्थी की अपील को इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.10.89 का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि निरीक्षण दल द्वारा वक्त निरीक्षण 44.9 क्विंटल गेहूँ का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया जाना एवं 1541.22 लीटर केरोसीन के फर्जी ट्रान्जेक्शन भी किया जाना बताया गया एवं 98 किलो चीनी स्टॉक में कम पायी जाना बताया गया। इसके सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी गई। पुलिस द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में डीलर के पास में 1 सितम्बर 2016 को 48.20 क्विंटल गेहूँ पोते होना बताया गया हैं। इसी प्रकार 1641 लीटर केरोसीन ही पोते होना अपनी जॉच में बताया हैं व चीनी भी 202 किलोग्राम पोते थी। निरीक्षण दल स्वयं द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किया है कि डिलर मौके पर नहीं था। मोबाईल पर सम्पर्क करने पर डीलर का उदयपुर होना बताया। तो प्रथम दृष्ट्या यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि जॉच दल द्वारा दुकान का निरीक्षण किस प्रकार किया। डीलर की अनुपस्थिति में यदि दुकान बन्द पायी जाती है तो नियमानुसार जो कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह नही करके मकान के मालिक की उपस्थिति में स्टॉक का सत्यापन किया गया। जो कदापि न्यायोचित नहीं हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अपने निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 90 दिन के लिये दिनांक 24.07.17 को निलम्बित किया जाकर सेन्टर की राशन सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी परन्तु 90 दिन समाप्त होते ही अपीलान्ट की वितरण व्यवस्था ना तो चालु की गई। करीब 10 माह पश्चात प्राधिकार पत्र निरस्ती का आदेश दिया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 16264/2017 आदेश दिनांक 10.05.18 के अनुसार 90 दिन के लिये लाईसेन्स

निलम्बित करते हुए भी एक वर्ष तक लाईसेन्स बहाल नहीं किये जाने से वितरण व्यवस्था तुरन्त चालु करने का आदेश दिया गया हैं। जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दी गई एफ.आई. आर. में थानाधिकारी माण्डवा द्वारा एफ.आर. संख्या 14/17 से सीजेएम साहब कोटड़ा को प्रस्तुत कर दी गई हैं। जिसमें भी अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दोष आरोपित नहीं करते हुए प्रकरण में तथ्यो की भूल का मानते हुए प्रस्तुत एफ.आई.आर. को निरस्त किये जाने हेतु एफ.आर. प्रस्तुत की गई हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय को प्रथम दृष्ट्या तत्थ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटीपूर्ण पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर का आदेश दिनांक 10.05.18 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को उचित मूल्य की दुकान जुड़ा बी तहसील कोटड़ा की वितरण व्यवस्था पुनः प्रदान करते हुए नये सीरे से अपीलान्ट को सुनवाई का पुनः अवसर दिया जाकर उपलब्ध साक्ष्यो को दृष्टिगत रखते हुए गेहूँ, केरोसीन, लेवी चीनी के दिनांक 01.09.16 के प्रारम्भिक स्टॉक के संबंध में प्रमाणित साक्ष्यो के आधार पर जॉच कर प्रकरण में विधिक निर्णय नये सीरे से कार्यवाही करते हुए पारित करें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर